"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2012—माघ 26, शक 1933

कृषि (मछलीपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-2/2012/36.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मछली पालन विभाग	विभागीय जलाशयों से स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थाओं समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही.	7 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	संयुक्त/उप/ सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (जिलाधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	मछली पालन विभाग/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना	30 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3.	मछली पालन विभाग/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों का चयन–				
		1. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत से नामांकन करना	30 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	संयुक्त/उप/सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (जिलाधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
		2. प्रशिक्षण प्रारंभ करना	30 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	—,,—	
4.	मछली पालन विभाग	बीमित मछुआरा की मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना	15 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	संयुक्त/उप/सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (जिलाधिकारी)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
5.	मछली पालन विभाग/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	हितग्राहियों के मछली पालन हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना	30 दिवस	मत्स्य निरीक्षक	जिला मत्स्योद्योग अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.